राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1129/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत–पंचम, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जी.आर.एल. इण्टरनेशनल लिमिटेड
जयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 21.06.2017

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत–पंचम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त(अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 152/अपील्स–तृतीय/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23, 55 व 58 के आदेश दिनांक 07.02.2012 पारित करते हुए शास्ति रू.1,82,000/– एवं ब्याज रू. 7846/–आरोपित किया है, को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप इस इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2009–10 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमासिक बिक्री विवरण पत्र क्रमशः 179, 149 एवं 72 दिनों के विलम्ब से पेश किये गये, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित की। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा द्वारा मासिक कर विलम्ब से जमा कराया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 55 के ब्याज आरोपित किया गया। इस प्रकार से आरोपित शास्ति एवं ब्याज के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसे अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण के समय पाया गया कि व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही के विक्रय विवरण पत्र क्रमशः 179, 149 व 72 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किये

गये है,जिसके लिए नोटिस जारी करने पर विलम्ब से तिमाही बिक्री विवरण प्रस्तुत करने के लिए कोई ठोस व तार्किक कारण नहीं बताया गया है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति एवं अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया, जिसको बिना किसी उचित कारण के अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचना के अनुसार यदि आलोच्य वर्ष 2009–10 के सभी रिटर्न एवं देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करा दिया जाता हैं, तो आरोपित शास्ति एवं ब्याज समाप्त (waive) करने के निर्देश दिये गये है। उनका कथन है कि व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में आलोच्य वर्ष के सभी रिटर्न एवं देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करा दिया गया है,इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त अधिसूचना को उद्धृत करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त कर दिया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड,अपीलाधीन आदेश एवं अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 का अवलोकन किया गया । उक्त अधिसूचना के अवलोकन पर स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार यदि आलोच्य वर्ष 2009–10 के सभी रिटर्न एवं देय कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा करा दिया जाता हैं, तो आरोपित शास्ति एवं ब्याज समाप्त (waive) करने के निर्देश दिये गये है। व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना का लाभ उठाते हुए आलोच्य वर्ष के सभी रिटर्नस दिनांक 30.09.2011 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है तथा देय कर भी जमा करा दिया गया है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज अपास्त किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। अतः विभाग की ओर से अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य